न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

(19)

प्र0क0 R /2014 निगरानी R 2984-I/14

1—दामोदर प्रसाद शर्मा

2—शम्भू दयाल शर्मा

पुत्रगण बाबूराम शर्मा निवासी ग्राम टेकचन्द स्कूल रोड वार्ड क0 2 अम्बाह तह0 अम्बाह जिला मुरैना

......................आवेदक

बनाम

रामनिवास पुत्र बाबूराम शर्म निवासी पूढरोड वार्ड क0 2 अम्बाह तह0 अम्बाह जिला मुरैना

अनावेदक

8.9.14

8/9/14

53

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2984–एक / 14 जिला मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10–09–2014	आवेदक अधिवक्ता श्री श्रीकृष्ण शर्मा, उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता पर सुना । 2– आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । तहसील न्यायालय तहसील अम्बाह जिला मुरैना के प्र0क0 53/अ–6/2012–13 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 30–08–14 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया, जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है । 3– तहसील न्यायालय के अंतरिम आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय में प्रकरण आवेदक के कथनो पर प्रतिपरीक्षण हेतु नियत किया गया है, जो उचित है अतः तहसील न्यायालय की कार्यवाही में हस्तक्षेप करने का कोई आधार आवेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है । प्रथमदृष्टया यह निगरानी आधारहीन होने से इसी स्तर पर अग्राह्य की जाती है । प्रशासकीय सदस्य	